

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम (म.प्र.)**  
**परिपत्र**

क्र. 2152 / सर्वर रूम / 2026

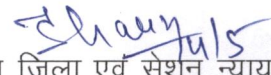
नर्मदापुरम दिनांक 14 / 05 / 2026

प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ कर्मचारीगण कार्यालयीन समय के पश्चात् भी न्यायालय परिसर में देर रात तक रुक कर सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर संबंधी कार्य करते हैं, जो कि अनुचित है।

न्यायालयीन समय के पश्चात् सायं 06:00 बजे जिला मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालय पर सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर/सर्वर बंद कर दिया जाएगा। अपरिहार्य कारणों को छोड़कर सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर/सर्वर सायं 06:00 बजे के पश्चात् चालू नहीं रहेगा, इसका समाधान प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग स्वयं करेंगे।

अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण अपने अधीनस्थ पदस्थ कर्मचारीगण को निर्देशित करें कि वे सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य न्यायालयीन समय में ही एवं सायं 06:00 बजे के पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

  
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
नर्मदापुरम (म.प्र.)

पृष्ठां. क्र. 2153 / सर्वर / 2026

नर्मदापुरम दिनांक 14 / 05 / 2026

**प्रतिलिपि :-**

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण/समस्त प्रभारी अधिकारीगण, समस्त अनुभाग, नर्मदापुरम/ सिवनीमालवा/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
2. जे.एस.ए./आई.टी.एस.ए/डी.एस.ए./एस.ए. सर्वर रूम नर्मदापुरम/ सिवनी मालवा/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

वास्ते— प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
  
नर्मदापुरम (म.प्र.)